

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शृंखले के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के देखभाष हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. रे. विवाद, विनांक 30-05-2001 ”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/तुर्ग/00/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207 ]

रायपुर, मंगलबार, विनांक 13 मई 2014 — वैशाख 23, हज़ा 1336

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महाननदी घटन, नदा रायपुर

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पात्रवर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (३) के उप-खण्ड (पांच) के परन्तुक हारा प्रवत्त जनकियों को प्रयोग में सोते हुए, राज्य सरकार, एवं हारा, अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकारपत्र सीधा अधिसूचित करती है, अर्थात् —

#### अनुसूची

स. क्र.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	सदम्म प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लोक प्रयोजन	1000 हेक्टेएर तक (अर्थात् 2470 एकड़)	जिलाधीश

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से लदा आदेशानुसार,  
पी. विहाराचारी, मंत्रुक्त सचिव.

(2)

(2)

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (v) of clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies the maximum limit of land to be acquired for public purpose under the said Act by the Collector of the State in their respective jurisdiction, as shown in column (3) of the Schedule below, namely :-

## SCHEDULE

S. No.	The purpose of land acquisition (1)	The area proposed for acquisition of private land (2)	Competent Authority (4)
1	public purpose	upto 1000 hectares (2470 acres)	Collector

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHALANI, Joint Secretary.

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सत-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उन्नित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 की उप-धारा 3 के सुण्ड (छ) द्वारा, प्रवन्न शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज सरकार, एलड्यूसारा, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित लेवाधिकार के अंतर्गत, भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अधिहित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHALANI, Joint Secretary.

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 2 की उप-धारा (3) के स्थापन (क) द्वारा प्रवत्त जकियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निजी कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात्:-

(1)	नगरीय क्षेत्र	2.00 हेक्टेयर
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	4.00 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार<sup>पी. निहलानी, संयुक्त सचिव</sup>

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, prescribes the limits of land to be purchased by private company in rural and urban areas as follows, namely :-

(1)	Urban Area	2.00 Hectares
(2)	Rural Area	4.00 Hectares

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHILANI, Joint Secretary

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त जकियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सभी अनुदिभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीक/संयुक्त जिलाधीक) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार<sup>पी. निहलानी, संयुक्त सचिव</sup>

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Sub-divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) within their respective jurisdiction as Administrator for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHILANI, Joint Secretary

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एस. 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उन्नित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की पारा 3 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (छ.) एवं (सात) होरा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार, एवं बहारा, नीचे दी गई अनुसूची के कोलम (2) में उत्तिष्ठित प्रयोजनों के लिए प्रकास्तिक व्यय विविहृ करती है, अधीन:-

## अनुसूची

सं. क्र.	प्रयोजन	व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 5%
2.	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासनिक व्यय	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर का 5%.
3.	सामाजिक रासाधान निधान अध्ययन	रुपय 5 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,  
श्री. विजयलाली, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :-

## SCHEDULE

S. No.	Purpose	Costs
(1)	(2)	(3)
1.	Service charges of Land Acquisition.	5% of the Compensation
2.	Administrative cost of Rehabilitation and Resettlement	5% of the Rehabilitation and resettlement compensation.
3.	Social Impact assessment	5 lakh Rupees or actual expenditure which is more.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.  
P. NIHAI LALANI, Joint Secretary

रायपुर, विनांक 13 मई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 44 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार, एवं वृद्धारा, सभी संभागीय आयुक्त को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उन प्रांतों के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के स्वप में नियुक्त करती हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,  
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव,

Raipur, the 13th May 2014

## NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven 1/2014. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioner within their respective jurisdiction as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHALANI, Joint Secretary.